

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश

क्रमांक 2/अवि./सेल-डी.पी.सी/2014/


भोपाल, दिनांक /12/2014

:: आदेश ::

संचालनालय स्तर पर दिनांक 13.11.2014 को विभागीय पदोन्नति समिति की अनुसंशा पर श्री विसराम ओझा, नॉन मेडिकल असिस्टेंट को स्वास्थ्य शिक्षक (हेल्थ एज्यूकेटर) (कुष्ठ) के पद पर वेतनमान रुपये 5200-20200 +ग्रेड पे 2800 में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत करते हुये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दतिया से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर के अधीन अर्थाई तौर से आगामी आदेश तक निम्नलिखित शर्तों पर पदस्थ किया जाता है।

1. पदोन्नत कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जॉच/ आपराधिक प्रकरण लंबित है अथवा निलंबित है, तो उन्हें कार्यमुक्त न करते हुये उसकी सूचना तत्काल संचालनालय को भेजे।
2. पदोन्नति पद एवं स्थान पर आदेश प्राप्ति के उपरांत 15 दिवस की अवधि में पदोन्नत कर्मचारी को अपना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। अन्यथा यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
3. संबंधित कर्मचारी के कार्यमुक्त होने/कर्तव्य पर उपस्थित होने की सूचना संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संचालनालय को 07 दिवस में आवश्यक रूप से भेजना होगा। अतिशेष की स्थिति में कर्मचारी को कर्तव्य पर उपस्थित नहीं कराया जावे।
4. मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति)नियम 2002 के तहत निर्धारित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिये आरक्षण संबंधी निर्देशों का पालन किया गया है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।



(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक 2/अवि./सेल-डी.पी.सी/2014/913-X

भोपाल, दिनांक 23/12/2014

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/ अपर संचालक, प्रशासन स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
3. अध्यक्ष विभागीय पदोन्नति समिति, स्थानीय कार्यालय।
4. संयुक्त संचालक (कुष्ठ) स्थानीय कार्यालय।
5. संयुक्त संचालक एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
6. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर/जबलपुर मध्यप्रदेश।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दतिया/जबलपुर मध्यप्रदेश।
8. जिला कुष्ठ अधिकारी दतिया/जबलपुर मध्यप्रदेश।
9. संबंधित कर्मचारी, उपरोक्तानुसार पालनार्थ।


अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश